

**छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग संभाग के ग्रामीण विकास में कृषि आधारित सरकारी योजनाओं की
भूमिका एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन**

शोध-निर्देशक **डॉ. बी.एन. मेश्राम** पूर्व प्राचार्य शासकीय भीमराव अम्बेडकर महा. डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
सहशोध-निर्देशक **डॉ. मणिमेखला** पुक्ला विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान) कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर जिला-दुर्ग
(छ.ग.)

शोधार्थी **देवानंद** (राजनीति विज्ञान) कल्याण स्नातकोत्तर महा. भिलाई नगर जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Email ID devanandv90@gmail.com

शोध केन्द्र:- कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

सारांश :-

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है तथा ग्रामीण विकास का आधार भी कृषि ही है। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कृषि पर निर्भर है। किसानों की आय में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में सुधार तथा ग्रामीण विकास को गति देने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कृषि आधारित योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषक उन्नति योजना तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना जैसी प्रमुख योजनाओं की भूमिका एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इन योजनाओं ने किसानों को आर्थिक सहायता, जोखिम सुरक्षा तथा कृषि निवेश बढ़ाने में सहायता प्रदान की है, जिससे ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन मिला है।

मुख्य शब्द:- कृषि, ग्रामीण विकास, कृषक कल्याण, सरकारी योजनाएँ, कृषि नीति, नियमों की प्रभावशीलता, धान का कटोरा, आय में वृद्धि, कृषि उत्पादन में सुधार।

प्रस्तावना:- भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का विशेष महत्व है। ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका, रोजगार तथा सामाजिक-आर्थिक विकास का प्रमुख आधार कृषि है। छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, जहाँ अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने तथा ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कृषि आधारित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषक उन्नति योजना तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना जैसी योजनाओं ने किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता, जोखिम प्रबंधन, सिंचाई विस्तार तथा कृषि निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन योजनाओं के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। यद्यपि इन योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, फिर भी इनके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक व्यावहारिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इसलिए दुर्ग संभाग के संदर्भ में इन योजनाओं की भूमिका एवं प्रभावशीलता का वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय- भारत की 75 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। भारत के प्राण ग्रामों में बसते हैं, देश की आत्मा कृषि में है। देश के सकल घरेलू उत्पाद का 16.5 प्रतिशत हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है। भारतीय संघ के 26 वें राज्य के रूप में दिनांक 01 नवंबर 2000 को गठित छत्तीसगढ़ 26 वर्ष के पूर्ण युवावस्था में प्रवेश कर चुका है। छ.ग. राज्य में कुल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी 13.35 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख कृषि उत्पादन संभागों की श्रेणी में दुर्ग संभाग का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। जहाँ के कुल क्षेत्रफल में से लगभग 51.06 प्रतिशत क्षेत्र में संभाग के लगभग 86 प्रतिशत जनसंख्या कृषक परिवार के अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण विकास में कृषक कल्याण योजनाओं के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग संभाग का चयन शोध क्षेत्र के रूप में किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग संभाग के ग्रामीण विकास में कृषक कल्याण हेतु सरकारी योजनाओं की भूमिका एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन का अध्ययन किया जाना है, जिसके अंतर्गत दुर्ग संभाग के चार जिले (दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी) का अध्ययन किया गया है। कृषि संबंधी सराहनीय कार्यों के लिये छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा डॉ. खूबचंद बघेल एवं उन्नत कृषक पुरस्कार सम्मान संभागीय किसान श्री एकेश्वर वर्मा जिला राजनांदगांव को दिया गया है। वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी 15 नवंबर 2025 से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक चली, जिसका लाभ लगभग 25 लाख किसानों को मिलने का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने सामान्य धान का

msp बढ़ाकर 2369रु प्रति क्विंटल किया था, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को कुल 3100रु प्रति क्विंटल का लाभ देने की व्यवस्था की है। **msp** और 3100रु के बीच की अंतर राशि राज्य की योजनाओं (जैसे कृषक उन्नति योजना) के माध्यम से दी जा रही है।

अध्ययन के उद्देश्यः— किसी भी कार्य को निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। शोध कार्य के भी कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। शोध कार्य में उद्देश्य की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित होने से समय एवं धन की बचत होती है। प्रस्तुत शोध छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग संभाग के ग्रामीण विकास में कृषि आधारित सरकारी योजनाओं की भूमिका एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन यही इस अध्ययन का मूल उद्देश्य है।

इस शोध हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैंः—

1. छत्तीसगढ़ में संचालित कृषि आधारित सरकारी योजनाओं का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण विकास में इन योजनाओं की भूमिका का मूल्यांकन करना।
3. किसानों की आय एवं जीवन स्तर पर योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करना।
4. योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं की पहचान करना तथा योजनाओं की प्रभावशीलता तथा चुनौतियों का अध्ययन करना।
5. कृषि आधारित योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धतिः—

1. प्राथमिक स्रोत— प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत प्रश्नावली तैयार करना, उत्तरदाताओं का साक्षात्कार करना, सैपलिंग करना, उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के माध्यम से संबंधित शोध की जानकारी प्राप्त कर अवलोकन व सर्वेक्षण के आधार पर विश्लेषण किया गया है। प्राथमिक आँकड़े संरचित प्रश्नावली एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा 400 कृषकों से प्राप्त किए गए। छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण विकास में कृषक कल्याण योजनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन दुर्ग संभाग के चयनित जिलों से अभिमत प्राप्त कर तालिकाओं के माध्यम से विश्लेषण किया गया है।

2. द्वितीयक स्रोत — द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत विषय से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएँ, पुस्तकें, लेख, शोधग्रंथ, क्षेत्रीय समाचार पत्रों की रिपोर्ट, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, आर्थिक सर्वेक्षण, वेबसाइट से प्राप्त जानकारी इत्यादि का संकलन एवं अवलोकन किया गया है तथा संकलित आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, औसत, मानक विचलन, सहसंबंध की सहायता से किया गया।

प्रस्तुत शोध में दुर्ग संभाग के चार जिले दुर्ग, राजनांदगाँव, बालोद, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी को शामिल किया गया है, ताकि सभी क्षेत्रों, वर्गों को समान प्रतिनिधित्व दिया जा सके। इन चारों विकासखण्डों में पाँच पाँच ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, जिसमें से एक ग्राम पंचायत शहरी आबादी के नजदीक सड़क मार्ग पर स्थित हो तथा दूसरा पंचायत सामान्य स्थिति एवं तीसरी पंचायत रिमोट एरिया से संबंधित होगी। प्रस्तुत अध्ययन लगभग 400 उत्तरदाताओं पर आधारित है। प्रस्तुत अध्ययन में दैव निदर्शन के आधार पर प्रश्नावली अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक समंक एकत्र कर उसका सारणीयन एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला गया है। प्राथमिक समंकों के साथ-साथ आवश्यकतानुसार द्वितीयक समंकों का उपयोग प्रकाशित ग्रंथों रिपोर्टों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रतिशत, अनुपात, वृद्धि दर माध्यम, सांख्यिकी विश्लेषणों का उपयोग यथा स्थान औचित्यपूर्ण ढंग से किया गया है। विषयवस्तु को सरल बनाने के लिए आंकड़ों का आरेखण मानचित्र एवं दण्डचित्रों आदि का भी सहज उपयोग किया गया है।

शोध परिकल्पनाएँः—

1. छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग संभाग में कृषि आधारित सरकारी योजनाओं का ग्रामीण विकास पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
2. कृषि आधारित सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से किसानों की आय, कृषि उत्पादकता एवं जीवन स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

3. कृषि आधारित सरकारी योजनाओं के प्रति किसानों की जागरूकता का स्तर जितना अधिक होगा, योजनाओं का लाभ एवं प्रभावशीलता उतनी ही अधिक होगी।
4. छोटे एवं सीमांत किसानों की तुलना में बड़े किसानों द्वारा कृषि आधारित सरकारी योजनाओं का लाभ अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त किया जाता है।
5. सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक एवं तकनीकी बाधाएँ योजनाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं।
6. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएँ ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
7. कृषि आधारित सरकारी योजनाओं का समुचित कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन में सहायक सिद्ध होता है।

प्रमुख कृषि आधारित योजनाएँ:-

भारत सरकार की योजनाएँ:- भारत सरकार और राज्य सरकारें कृषकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती हैं। ये योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने, फसल सुरक्षा, बीमा, और आधुनिक तकनीक को अपनाने में मदद करती हैं। किसानों की समस्याओं तथा खेती से जुड़ी जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की गई है। साथ ही टेलीविजन पर डी.डी. किसान चैनल भी फ्री डी.टी.एच. पर उपलब्ध है, जिसमें समय-समय पर विशेषज्ञों के द्वारा कृषि कार्यों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। यहाँ कुछ प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी गई है-

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. किसान क्रेडिट कार्ड योजना | 2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना |
| 3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | 4. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना |
| 5. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | 6. कृषि यंत्रीकरण योजना |
| 7. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना | 8. नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट योजना |
| 9. राष्ट्रीय बागवानी मिशन | 10. मनरेगा/भूमि सुधार योजना। |

छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएँ:- छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में कई तरह की कृषि योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों के जीवन को बेहतर बनाना और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग तथा उनकी कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है-

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. राजीव गांधी किसान न्याय योजना | 2. सौर सुजला योजना |
| 3. किसान ऋण माफी योजना | 4. कृषक उन्नति योजना |
| 5. कस्टम हायरिंग सेंटर योजना | 6. धान खरीदी योजना |
| 7. नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना | 8. गोधन न्याय योजना |
| 9. धरसा विकास योजना | 10. राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना |
| 11. छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना। | |

साहित्य समीक्षा:- (Review of Literature)

1. **सिंह (2018)**- सिंह ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अध्ययन करते हुए पाया कि इस योजना ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान की, किन्तु जागरूकता की कमी के कारण सभी किसान इसका पूर्ण लाभ नहीं उठा सके।
2. **World Bank Report (2022)**- रिपोर्ट में कहा गया कि कृषि सहायता कार्यक्रम ग्रामीण गरीबी को कम करने एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक हैं।
3. **NITI Aayog Report (2023)**- रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली ने पारदर्शिता एवं लाभ वितरण की दक्षता में सुधार किया है।

4. Ministry of Agriculture Report (2023)— रिपोर्ट में बताया गया कि योजना ने किसानों की आय सहायता एवं कृषि निवेश क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

5. Chhattisgarh Economic Survey (2024)— आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में कृषि क्षेत्र की प्रगति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

शोध अंतराल— पूर्ववर्ती अध्ययनों में ग्रामीण विकास के आर्थिक, सामाजिक एवं कृषि संबंधी आयामों का समन्वित विश्लेषण भी अपेक्षाकृत कम किया गया है। साथ ही योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन, लाभार्थियों की संतुष्टि, किसानों की आय, कृषि निवेश एवं उत्पादकता पर इनके प्रभाव का क्षेत्रीय स्तर पर पर्याप्त अध्ययन नहीं मिलता। इन्हीं शोध-अंतरालों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन किया गया है।

उपलब्ध साहित्य के अध्ययन से निम्न शोध अंतराल स्पष्ट होते हैं:—

1. अधिकांश अध्ययन किसी एक योजना (PM-KISAN फसल बीमा आदि) तक सीमित हैं।
2. छत्तीसगढ़ राज्य में जिले वार कृषि आधारित विभिन्न योजनाओं के संयुक्त प्रभाव पर सीमित शोध उपलब्ध हैं।
3. ग्रामीण विकास के सामाजिक एवं आर्थिक दोनों आयामों का एकीकृत अध्ययन कम किया गया है।
4. योजनाओं की प्रभावशीलता का क्षेत्रीय (दुर्ग संभाग) स्तर पर व्यापक मूल्यांकन नहीं हुआ है।
5. राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं की तुलनात्मक प्रभावशीलता पर शोध का अभाव है।
6. छोटे एवं सीमांत किसानों पर योजनाओं के वास्तविक प्रभाव का पर्याप्त अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
7. योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं एवं लाभार्थियों के अनुभवों पर सीमित शोध हुआ है।

अतः प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न कृषि आधारित सरकारी योजनाओं की भूमिका एवं प्रभावशीलता का समग्र मूल्यांकन करते हुए उपर्युक्त शोध अंतराल को भरने का प्रयास करेगा।

ग्रामीण विकास में योजनाओं की भूमिका:—

1. **किसानों की आय में वृद्धि—** कृषि आधारित योजनाओं से किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्राप्त सहायता राशि का उपयोग किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक एवं अन्य कृषि निवेशों में कर रहे हैं।
2. **कृषि निवेश में वृद्धि—** योजनाओं के माध्यम से किसानों को समय पर वित्तीय सहायता मिलने से कृषि निवेश में वृद्धि हुई है तथा उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ है।
3. **कृषि जोखिम में कमी—** फसल बीमा योजना ने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई कर किसानों को सुरक्षा प्रदान की है।
4. **ग्रामीण रोजगार का सृजन—** कृषि उत्पादन में वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं तथा कृषि आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला है।
5. **सामाजिक विकास—** किसानों की आय का सकारात्मक प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर पर भी देखा गया है।

योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन:— अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कृषि आधारित योजनाओं ने ग्रामीण विकास को गति प्रदान की है। PM-KISAN जैसी योजनाओं के अंतर्गत करोड़ों किसानों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की जा रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। शुभारंभ के अवसर पर लगभग 1 करोड़ किसानों के बैंक खातों में पहली किस्त 2,000 रु सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। यह केंद्र सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रु की वित्तीय सहायता तीन किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान की जाती है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई। इस किस्त के अंतर्गत देशभर के लगभग 9.44 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,880 रु करोड़ की सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के लगभग 25 लाख किसान भी शामिल थे। यद्यपि योजनाओं के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं, फिर भी इनके क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं। समग्र रूप से कहा जा सकता है कि कृषक कल्याण योजनाएँ ग्रामीण विकास एवं किसानों की आय में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हुई हैं। यदि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में विद्यमान कमियों को दूर कर प्रभावी निगरानी और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए, तो ये योजनाएँ किसानों के जीवन स्तर में स्थायी सुधार लाने तथा कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

निम्न समस्याएँ लगभग सभी प्रकार के कृषक कल्याण योजनाओं में अभी भी विद्यमान हैं—

1. लाभार्थियों की पहचान में त्रुटियाँ।

2. भूमि अभिलेखों का अद्यतन न होना।
3. तकनीकी समस्याएँ एवं ई-केवाईसी संबंधी कठिनाइयाँ।
4. योजनाओं के प्रति सीमित जागरूकता।
5. दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का अभाव।

सुझाव:-

- 1. किसानों के लिए नियमित जागरूकता अभियान:-** कृषि आधारित सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक किसान तक समय पर पहुँचाने के लिए नियमित जागरूकता अभियान संचालित किए जाने चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर, कार्यशालाएँ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया तथा लाभों की जानकारी दी जानी चाहिए। स्थानीय भाषा एवं सरल माध्यमों का उपयोग करने से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इससे योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र किसानों तक प्रभावी रूप से पहुँच सकेगा।
- 2. डिजिटल सेवाओं तक ग्रामीण क्षेत्रों की पहुँच:-** ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट, कॉमन सर्विस सेंटर तथा डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया जाना आवश्यक है। किसानों को ऑनलाइन आवेदन, योजना की स्थिति, भुगतान एवं शिकायत निवारण जैसी सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। डिजिटल साक्षरता बढ़ने से समय और लागत दोनों की बचत होगी। इससे सरकारी योजनाओं का संचालन अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगा।
- 3. लाभार्थी चयन प्रक्रिया का अधिक पारदर्शी होना:-** सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों के चयन हेतु स्पष्ट एवं निष्पक्ष मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए। चयन प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक पोर्टल एवं ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। शिकायतों के त्वरित निवारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे भ्रष्टाचार एवं पक्षपात की संभावना कम होगी तथा किसानों का विश्वास बढ़ेगा।
- 4. कृषि विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करना:-** कृषि विस्तार अधिकारियों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित कर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों, उर्वरकों एवं कीट प्रबंधन की जानकारी दी जानी चाहिए। समय-समय पर प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए। इससे उत्पादन, गुणवत्ता एवं किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- 5. सिंचाई एवं कृषि अवसंरचना में निवेश:-** कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं, जल संरक्षण संरचनाओं, ग्रामीण सड़कों, भंडारण गृहों तथा कृषि उपकरणों के विकास में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए। आधुनिक सिंचाई तकनीकों को प्रोत्साहित करने से जल का बेहतर उपयोग संभव होगा। कृषि अवसंरचना मजबूत होने से फसल की लागत कम होगी और विपणन सुविधाओं में सुधार आएगा। इससे किसानों की आय एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।
- 6. योजनाओं की नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन:-** कृषि आधारित सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उनकी नियमित निगरानी एवं समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। इससे योजनाओं की वास्तविक स्थिति, उपलब्धियों तथा कमियों का सही आकलन किया जा सकेगा। मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक सुधार लागू किए जाने चाहिए ताकि योजनाएँ किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक प्रभावी बन सकें। इससे सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा तथा योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र किसानों तक पहुँच सकेगा।
- 7. स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं में लचीलापन:-** छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक, सामाजिक एवं कृषि संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजनाओं में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार योजना का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होगा। इससे किसानों की वास्तविक समस्याओं का समाधान बेहतर ढंग से हो सकेगा।
- 8. योजनाओं के प्रभाव का सामाजिक एवं आर्थिक मूल्यांकन:-** योजनाओं का केवल वित्तीय नहीं, बल्कि किसानों की आय, रोजगार, उत्पादन तथा जीवन स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का भी नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक सुधार किए जाएँ। इससे योजनाओं की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता में निरंतर वृद्धि होगी।

अध्ययन का महत्व:- यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, शोधार्थियों, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। प्रस्तुत अध्ययन शैक्षणिक, नीतिगत, सामाजिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्ययन के निष्कर्ष कृषि आधारित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, नीति सुधार तथा ग्रामीण विकास की रणनीति तैयार करने में सहायक होंगे। इन योजनाओं की वास्तविक प्रभावशीलता का क्षेत्रीय स्तर पर वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से यह अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग संभाग में संचालित कृषि आधारित सरकारी योजनाओं की भूमिका एवं प्रभावशीलता का विश्लेषण करता है। अध्ययन से यह स्पष्ट होगा कि इन योजनाओं ने किसानों की आय, कृषि निवेश, उत्पादन, सिंचाई सुविधाओं, जोखिम प्रबंधन, रोजगार सृजन तथा ग्रामीण जीवन स्तर में किस सीमा तक सुधार किया है। साथ ही यह भी ज्ञात होगा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कौन-कौन सी प्रशासनिक, तकनीकी एवं व्यवहारिक बाधाएँ विद्यमान हैं। शैक्षणिक दृष्टि से यह अध्ययन कृषि अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र के शोधार्थियों, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों

के लिए एक उपयोगी संदर्भ सामग्री के रूप में कार्य करेगा। यह अध्ययन कृषि आधारित सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता के मूल्यांकन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक योगदान प्रदान करता है तथा सतत एवं समावेशी ग्रामीण विकास की दिशा में नीति-निर्माण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए उपयोगी आधार उपलब्ध कराता है।

योजनाओं की प्रभावशीलता:- अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित कृषि आधारित सरकारी योजनाओं ने ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को नियमित आय सहायता प्राप्त हुई, जिससे कृषि निवेश एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, अतिवृष्टि तथा अन्य जोखिमों के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई में किसानों को सुरक्षा प्रदान की। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से जल उपयोग दक्षता में सुधार हुआ तथा फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मृदा परीक्षण की जानकारी प्राप्त हुई, जिससे संतुलित उर्वरक उपयोग एवं भूमि की उर्वरता में सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त कृषि यंत्रीकरण, जैविक खेती, उन्नत बीज, कृषि प्रशिक्षण तथा कृषि विस्तार सेवाओं ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुँचने से पारदर्शिता बढ़ी तथा बिचौलियों की भूमिका में कमी आई। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप किसानों की आय, कृषि उत्पादकता, रोजगार के अवसर तथा ग्रामीण जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। हालाँकि अध्ययन के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, तकनीकी समस्याएँ, पात्र किसानों की पहचान, भूमि अभिलेखों की त्रुटियाँ, डिजिटल साक्षरता का अभाव तथा योजनाओं के लाभ वितरण में विलंब जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। अतः इन समस्याओं के समाधान हेतु प्रभावी निगरानी तंत्र, समयबद्ध भुगतान, नियमित प्रशिक्षण, जन-जागरूकता अभियान तथा सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे योजनाओं की प्रभावशीलता में और अधिक वृद्धि होगी तथा ग्रामीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति अधिक सफलतापूर्वक की जा सकेगी।

निष्कर्ष (References):- प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि आधारित सरकारी योजनाएँ ग्रामीण विकास की सुदृढ़ आधारशिला सिद्ध हुई हैं। इन योजनाओं ने किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, कृषि जोखिम को कम करने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना एवं अन्य कृषि कल्याणकारी योजनाओं ने किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित हो सकता है जब उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता, समयबद्धता, प्रभावी निगरानी तथा जन-जागरूकता को प्राथमिकता दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता, कृषि परामर्श सेवाओं, बाजार तक पहुँच, भंडारण सुविधाओं तथा कृषि अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही किसानों को योजनाओं की जानकारी सरल एवं स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराना भी अत्यंत आवश्यक है। अंततः कहा जा सकता है कि यदि कृषि आधारित सरकारी योजनाओं का प्रभावी एवं समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा समय-समय पर उनकी समीक्षा एवं आवश्यक सुधार किए जाएँ, तो छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि क्षेत्र का सतत विकास, किसानों की आय में वृद्धि, ग्रामीण रोजगार सृजन तथा समावेशी ग्रामीण विकास के लक्ष्य अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह अध्ययन भविष्य में कृषि नीति निर्माण, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों तथा संबंधित शोध कार्यों के लिए भी उपयोगी आधार प्रदान करेगा।

संदर्भ सूची:-

1. बलवंत कौर एव विभास वर्मा, किसान आन्दोलन लहर भी संघर्ष भी जश्न भी प्रकाशक नवारुण वसुंधरा गाजियाबाद उ.प्र.।
2. माधव पटेल, किसान समस्याएँ और समाधान संकल्प पब्लिकेशन गौरव पथ बिलासपुर छत्तीसगढ़।
3. रामाज्ञा शशिधर नवारुण वसुंधरा, किसान आंदोलन की साहित्यिक जमीन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
4. डॉ. जनक सिंह मीणा, ग्रामीण विकास के विविध आयाम पब्लिकेशन- ज्ञान पब्लिक हाउस एडीशन 2006 पृ. 330।
5. कुलदीप सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज यथार्थ, संदर्भ एवं चुनौतियाँ प्रकाशक व्हाइट फाल्कन प्रकाशन आईएसबीएन 9798892221962 संस्करण प्रथम, 2024 पृष्ठ 230।
6. डॉ. दीपेन्द्र सिंह, भामाशाह योजना एवं ग्रामीण विकास संस्करण 2020 पृष्ठ 194।
7. देवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, ग्रामीण सामाजिक विकास प्रकाशक इग्नूबडी आईएसबीएन 9782843558672 संस्करण 2024।
8. संदीप सिंह, ग्रामीण विकास: योजना और प्रबंधन गुल्लीबाबा पब्लिशिंग हाउस पीवीटी. एलटीडी. पृष्ठ 254 (पेपरबैक, गुल्लीबाबा.कॉम पैनल) प्रकाशक 2024।
9. प्रो. रेखा डी. वसावा, मनरेगा एवं ग्रामीण विकास बाइंडिंग हार्डकवर प्रकाशक जेटीएस पब्लिशर्स, संस्करण 2019।

10. राजीव पाठक, ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम ओमेगा पुब्लिकेशन (हिंदी, हार्डकवर, महबूब आलम)।
11. डॉ. चन्द्र प्रकाश शुक्ल, जैविक खेती भाषा हिंदी, बाइंडिंग हार्डकवर, प्रकाशक पॉइंटर पब्लिशर्स, जयपुर।
12. डॉ. महेंद्र सिंह चौधरी, जैविक खेती एवं वर्मी कम्पोस्टिंग।
13. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित सरकारी एवं प्रकाशित रिपोर्टें।
14. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दस्तावेज।
15. छत्तीसगढ़ कृषक उन्नति योजना दिशा-निर्देश।
16. ग्रामीण विकास एवं कृषि अर्थशास्त्र से संबंधित शोध-पत्र एवं पुस्तकें।
17. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दस्तावेज भारत सरकार।
18. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
19. छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग।
20. ग्रामीण विकास एवं कृषि अर्थशास्त्र से संबंधित शोध-पत्र एवं पुस्तकें।
21. कृषि एवं ग्रामीण विकास विषयक विभिन्न सरकारी रिपोर्टें।
22. मिश्रा, एस. के., और पुरी, वी. के. (2023). भारतीय अर्थव्यवस्था. हिमालय पब्लिशिंग हाउस।
23. नाबार्ड. (2024). भारत में कृषि और ग्रामीण विकास की स्थिति. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।
24. ग्रामीण विकास मंत्रालय. (2024). वार्षिक रिपोर्ट 2023-24. भारत सरकार।
25. ग्रामीण विकास मंत्रालय. (2024). वार्षिक रिपोर्ट 2023-24. भारत सरकार।